न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 2/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांक: 3.1.2017
अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. मनभरता बाई पत्नी परमानंद जाति धाकड निवासी ग्राम राजपुरा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।

... अपीलाट

बनाम

1. लोकेश कुमार आत्मज जानक्या जाति नाथ
2. कन्हैयालाल आत्मज जानक्या जाति नाथ
3. ओमप्रकाश आ0 जानक्या जाति नाथ
   निवासीगण–ग्राम फलिया तहसील छीपाबडौद जिला बांरा
4. सरपंच ग्राम पंचायत अमलावदा हाली तहसील छीपाबडौद
5. तहसीलदार छीपाबडौद जिला बांरा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ऋषिराज नागर अभिभाषक अपीलांट

:::निर्णय:::

दिनांक 27.6.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 17/2014 बउनवान लोकेश कुमार बनाम सरपंच ग्राम पंचायत अमलावदा हाली आदि मे पारित निर्णय दिनांक 25.2.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि लोकेश कुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0 नं 122 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा मौजा फलिया तहसील छीपाबडौद पूर्व मे नारायण, धन्ना, जानक्या पि0 धूल्या कोम नाथ के खातेदारी मे दर्ज थी पूर्व खातेदार धन्ना व जानक्या की मृत्यु होने पर उनका फोती नामा0 सं0 90 ग्राम फलिया मृतक जानक्या के सजरा मे तीन पुत्र ओमप्रकाश, कन्हैयालाल, पप्पू दर्ज किया गया जबकि जानक्या के पप्पू नाम की कोई संन्तान नही है जानक्या के तीसरा पुत्र लोकेश कुमार है जिसका नाम दर्ज नही किया गया। अतः अपील स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत अमलावदा हाली द्वारा तस्दीक किया गया नामा0 सं0 90 निरस्त कर मृतक खातेदार जानक्या का फोती नामा0 ओमप्रकाश, कन्हैयालाल, लोकेश कुमार के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज किया जावे। उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को निर्णय दिनांक 25.2.2015 को स्वीकार कर नामा0 सं0 90 दिनांक 27.6.2000 ग्राम फलिया को खारिज कर लोकेश कुमार अपी0 को सुनकर उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की जांच कर नये सिरे से आदेश पारित कर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार छीपाबडौद को रिमांड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट मनभरता द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना लोकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर इंतकाल सं0 90 दिनांक 27.6.2000 को खारिज करने मे त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि उक्त आराजी के पूर्व खातेदार नारायण, धन्ना व जानक्या थे, नारायण व धन्ना से अपीलांट द्वारा अपना हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया था। जानक्या के स्वर्गवास उपरांत इंतकाल 90 तस्दीक किया गया जो उसके पुत्र लोकेश ओमप्रकाश व कन्हैयालाल के नाम दर्ज किया गया। ओमप्रकाश से भी अपीलांट ने उसका हिस्सा पंजीकृत वक्रय पत्र से खरीद कर लिया जो इंतकाल नम्बर 242 दिनांक 20.7.2009 से अपीलांट के नाम हिस्सा 2/3 दर्ज हो गया जो अपीलांट के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त तथ्य पत्रावली पर होते हुये भी इंतकाल सं0 90 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को रिमांड करने मे त्रुटि की है। इंतकाल सं0 90 मे पप्पू दर्ज कर रखा है और पप्पू के संबध मे रेस्पो0 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है अतः पप्पू के स्थान पर लोकेश कुमार दर्ज किये जाने मे अपीलांट को कभी कोई आपत्ति नही रही है। ऐसी स्थिति मे पप्पू के स्थान पर लोकेश दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने के स्थान पर दुबारा जांच करने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेश प्रदान कर त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 क्रम–1 की ओर से श्री आशीष भारद्वाज एडवोकेट एवं रेस्पो0 क्रम–3 की ओर से बाबूलाल योगी ने पैरवी हेतु अभिभाषक पत्र पैश किया। शेष रेस्पो0 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो0–1 व 3 के अभिभाषक बहस हेतु उपस्थित नही हुये अतः प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध समुचित तथ्यो पर गोर नही कर नामा0 सं0 90 को निरस्त करने मे वैधानिक त्रुटि की है जबकि नामा0 के सजरा मे अंकित नाम पप्पू के स्थान पर लोकेश दर्ज किया जाकर नाम दुरूस्त किया जाना था ऐसी स्थिति मे सम्पूर्ण नामा0 सं0 90 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त किया जावे।

4 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय पर मनन किया। रेस्पो0 क्रम–1 व 3 के अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ स्वयं का शपथ पत्र बावत अपीलाधीन निर्णय की जानकारी 24.11.2016 को होना वर्णित किया है। रेस्पो0 प्रकरण मे बावजूद सूचना अनुपस्थित है। अतः शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

5 अपील का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। अपीलांट लोकेश कुमार द्वारा नामा0 सं0 90 दिनांक 27.6.2000 ग्राम फलिया को अधीनस्थ न्यायालय मे इस आधार पर चुनोती दी गई कि नामा0 सं0 90 मृतक जानक्या के वारिसान के सजरा मे ओमप्रकाश, कन्हैयालाल पप्पू दर्ज किया गया जबकि जानक्या के पप्पू नाम की कोई संन्तान नही है जानक्या के तीसरा पुत्र लोकेश कुमार है जिसका नाम नामा0 के सजरा मे दर्ज नही किया गया ऐसी स्थिति मे उक्त इन्तकाल काबिल खारिजी है। इस संबध मे उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे राशन कार्ड संख्या 123 दिनांक 16.12.10 की छाया प्रति पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने लोकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 25.2.2015 को स्वीकार कर नामा0 सं0 90 दिनांक 27.6.2000 ग्राम फलिया को खारिज कर लोकेश कुमार अपी0 को सुनकर उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की जांच कर नये सिरे से आदेश पारित कर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार छीपाबडौद को रिमांड किया गया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर नही दिया तथा इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि उक्त आराजी के पूर्व खातेदार नारायण, धन्ना व जानक्या थे, नारायण व धन्ना से अपीलांट द्वारा अपना हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया था। जानक्या के स्वर्गवास उपरांत इंतकाल 90 तस्दीक किया गया जो उसके

वारिसान के नाम दर्ज किया गया। ओमप्रकाश से भी अपीलांट ने उसका हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद कर लिया जो इंतकाल नम्बर 242 दिनांक 20.7.2009 से अपीलांट के नाम हिस्सा 2/3 दर्ज हो गया उक्त आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त तथ्य पत्रावली पर होते हुये भी इंतकाल सं0 90 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को रिमांड करने मे त्रुटि की है। इंतकाल सं0 90 के सजरा मे पप्पू दर्ज कर रखा और पप्पू के संबध मे रेस्पो0 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है अतः पप्पू के स्थान पर लोकेश कुमार दर्ज किये जाने मे अपीलांट को कभी कोई आपत्ति नही रही है। ऐसी स्थिति मे पप्पू के स्थान पर लोकेश दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने के स्थान पर दुबारा जांच करने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेश प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से पृथम दृष्टया अपीलांट का उक्त तर्क उचित प्रतीत होता है। लोकेश कुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील मृतक जानक्या के वारिसान मे अंकित सजरे मे ओमप्रकाश, कन्हैयालाल, पप्पू दर्ज करने जबकि जानक्या के पप्पू नाम की कोई संन्तान नही होकर तीसरा पुत्र लोकेश कुमार होने व उसका नाम दर्ज नही किये जाने के आधार पर पेश की गई थी जिसके संबध मे अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण मे समुचित तथ्यो को परीक्षण कर न्यायोचित आदेश पारित किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यो का परीक्षण किये बगेर सम्पूर्ण इंतकाल को निरस्त कर त्रुटि की है। प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क है कि पप्पू के स्थान पर लोकेश कुमार दर्ज किये जाने मे उसको कोई आपत्ति नही रही है। अतः उक्त तथ्यो के आलोक मे इंतकाल सं0 90 को सम्पूर्ण रूप से खारिज किया जाना उचित नहीं ठहराया जा सकता लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नही होने से खारिज योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद द्वारा प्रकरण सं0 17/14 बउनवान लोकेश कुमार बनाम सरपंच ग्राम पंचायत अमलावदा हाली वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 25.2.2015 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/साक्ष्य आदि का समुचित परीक्षण कर निर्णय मे उल्लेखित तथ्यो के परिपेक्ष्य मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 27.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा